न्यायालय- विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय (अपर सेशन न्यायाधीश)
रामगंजमण्डी, जिला- कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शैलेष जड़िया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अमनदीप सिंह पुत्र ध्यान सिंह उम्र 35 साल निवासी चूनागरा थाना पातंरा जिला पटियाला पंजाब

.....प्रार्थी/अभियुक्त

-ब ना म-

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.)

.....अप्रार्थी/अभियोगी

(जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-165/2026)

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
(एफआईआर संख्या-36/2026, पुलिस थाना-चेचट)
अपराध अन्तर्गत धारा-8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थितः-

1- अधिवक्ता श्री चंदन गुप्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2- अपर लोक अभियोजक - अप्रार्थी राज्य की ओर से

- आदेश- दिनांकः-15.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त **अमनदीप सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, " दिनांक 09.02.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के आदेशानुसार 8 लाईन रोड इन्टरचेन्ज चेचट पर 08.00 पी.एम. बजे नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी समय 09.35 पीएम पर एक कार DL1YB7726 मारूति सुजुकी स्वीफट डिजायर बरंग सफेद भानपुरा (म.प्र.) की तरफ से आई जिसकों हाथ का इशारा देकर रूकवाना चाहा तो वाहन चालक ने अपनी कार की स्पीड बढा दी जिसपर गाडी के आगे बैरिकेट लगाकर कार को रोकना चाहा लेकिन चालक कार को तेज गति से भगाकर कोटा की तरफ ले गया। जिसका मन पु.नि. मय जाप्ता ने सरकारी गाडी से पिछा करना शुरू किया। उपरोक्त कार DL1YB7726 का चालक अपनी कार को तेजी से भगाकर 8 लाईन रोड एक्सप्रेस-वे के बिच में खाली जगह में टौल से 1 कि.मी. की दुरी पर खडी करके चाबी गाडी में लगी हुई छोडकर दांयी तरफ खेतों में भाग गया , जिसका हमराही जाप्ता की मदद से पीछा किया परंतु रात का समय होने से वह भागने में सफल हो गया। इस प्रकार गाडी के चालक का तेज स्पीड में गाडी चलाकर लाना और उतरकर भाग जाने संदेहास्पद होने से कार की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से नियमानुसार कार्यवाही कर डिटेनशुदा कार नम्बर DL1YB7726 की तलाशी लेने पर गाडी के अन्दर पिछली सीट पर व डिग्गी में सफेद, पीले व काले रंग के प्लास्टिक के कुल 7 कटटे भरे हुये निकले। जिनके मुंह प्लास्टिक के धागों से सिला हुआ था। सभी प्लास्टिक के कटटों का मुंह खोलकर देखा तो सभी कटटो में हल्के भूरे रंग का छिलकानुमा पदार्थ भरा मिला जिसको देखा , सुंघा व परखा गया तो सभी ने अनुभव के आधार पर मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा होना बताया। डिटेनशुदा कार में अनुज्ञापत्र/लाइसेन्स भी नहीं मिला। डिटेनशुदा गाडी में अनुज्ञापत्र/लाइसेन्स नहीं होने के कारण उक्त कार का चालक उक्त गाडी को डोडा-चूरा सहित छोडकर भागा है। जब्तशुदा प्लास्टिक के कुल 7 कटटों में भरे हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा का इलैक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल वजन मय बारदाना के 123 किलोग्राम हुआ।...इत्यादि।"

सत्यापित प्रति

03. उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना-चेचट द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-36/2026, अपराध अंतर्गत धारा- 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। उक्त प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी द्वारा जप्त कार, ATM कार्ड के आधार पर बैंक के रिकॉर्ड, RTO का रिकार्ड, फास्टेग का रिकॉर्ड, टॉल चेचट से प्राप्त सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड विडियो क्लिप व फोटो के आधार पर प्रकरण में संदिग्ध आरोपी गगनदीप सिंह पुत्र देवल सिंह एवं वाहन स्वामी अमनदीप सिंह पुत्र ध्यान सिंह को ट्रेस आउट कर नामजद किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त अमनदीप सिंह को दिनांक 19.04.2026 को गिरफतार किया गया।

04. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी कतई निर्दोष एवं बेगुनाह है, मात्र संदेह के आधार पर प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी ग्राम चुनागरा, पटियाला पंजाब का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं भागने एवं फरार होने की कोई संभावना नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा अधिक होकर वाणिज्यिक श्रेणी की मात्रा हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत जुगलकिशोर बनाम राजस्थान राज्य, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-13513/2020, आदेश दिनांक-26.11.2020 में पारित दिशा-निर्देशों की पालना में अनुसंधान डायरी पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड बाबत् रिपोर्ट निम्नानुसार है -

क्र.सं	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अपराध धारा
1.	52/22.02.2026	पातडा, जिला पटियाला, पंजाब	15, 25, 27, 29 NDPS Act

08. केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर है कि प्रकरण में दिनांक 09.02.2026 को वाहन कार DL1YB7726 मारूति सुजुकी स्वीफट डिजायर से परिवहन के दौरान अवैध मादक पदार्थ 'अफीम डोडा-चूरा' कुल वजन मय बारदाना 123 किलोग्राम बरामद किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त अमनदीप सिंह के खिलाफ अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का जुर्म प्रमाणित होना प्रकट होता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का एक अन्य प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट में लंबित होना पाया गया है। प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा अधिक होकर वाणिज्यिक श्रेणी की मात्रा हैं। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृत्ति के अपराध हैं।

(i) प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा की मात्रा 123 किलोग्राम होकर वाणिज्यिक मात्रा है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय स्टेट ऑफ केरला वगैरह बनाम राजेश वगैरह क्रिमिनल अपील नं.-154-157 निर्णय दिनांक-24.01.2020 में यह विनिश्चित किया है कि-**

Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Sec. 37 and Cr.P.C., 1973, Sec. 439-post

arrest bail Enlargement of bail to any person accused of commission of an offence under the Act, unless the two conditions are satisfied (i) That the prosecution must be given an opportunity to oppose the application and (ii) Court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence-Where either of these two conditions is not satisfied, the ban for granting bail operates.

(ii) अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, जब्तशुदा मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा आदि को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है।

09. अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्नजर प्रार्थी/अभियुक्त **अमनदीप सिंह** की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(शैलेष जड़िया)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय
रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज.)

10. आदेश आज दिनांक 15.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शैलेष जड़िया)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय
रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज.)

UMASHANKER GAUTAM
Steno Gr. Ist
"Authenticate Document"
Digitally signed by UMASHANKER GAUTAM
Date: 2026.06.16 10:13:56 +0530

सत्यापित प्रति